

**कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
शहडोल संभाग शहडोल**

कमांक/ शिक्षा.स्था.3/

/ मा.शि. / 2021 / 1808

दिनांक 27-7-2022

// आदेश //

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर सामाजिक विज्ञान विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित जिला अंतर्गत निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

S.N o	NAME	Address	ROLLNO	RANK	SUB_NAME	SELECTED_CATEGORY	Order Recommen d District
1	RAJNI KANTA KHARE	HOUSE NO 700 BEHIND HANUMAN TORIYA BALAJIPURAM CHHATARPUR CHT MADHYA PRADESH 471001	84853454	200	Social Science	UR/X/F	Umaria
2	NEELES SHARMA	01 VILLAGE RAMDEVA POST RARUARAI INDERGARH DAT MADHYA PRADESH 475675	84852541	289	Social Science	UR/X/F	Shahdol
3	NEHA TRIPATHI	GALI NO 02 SATAI ROAD CHHATARPUR CHHATARPUR CHT MADHYA PRADESH 471001	85054566	407	Social Science	UR/X/F	Umaria
4	SHAIENDRA KUMAR PUROHIT	WARD NO 14 PUROHIT MUHAL KUSMA MAHARAJPUR CHT MADHYA PRADESH 471501	85053614	466	Social Science	GFUR/X/OP	Umaria
5	RAJPAL YADAV	143 VILLAGE KESHOPUR POST KESHOPUR PIPRAI ASN MADHYA PRADESH 473440	84703428	529	Social Science	GFUR/X/OP	Shahdol
6	SUNEEL KUMAR AHIRWAR	HOUSE NO 160 GRAM BARAKHERA POST DHAWAD RAJNAGAR CHT MADHYA PRADESH 471606	84672957	2885	Social Science	SC/X/OP	Umaria
7	SATYENDRA SINGH	124 MADHOUPUR TEKANPUR DABRA GWL MADHYA PRADESH 475005	84719555	4141	Social Science	GFSC/X/OP	Shahdol
8	SAMPAT LAL MAHRA	WARD NO 13 TENGHA POST TENGHA JAITPUR SHD MADHYA PRADESH 484334	84676364	4379	Social Science	GFSC/X/OP	Shahdol
9	LOKESH KUMAR SANWARE	72 VILL DHANWAHI POST NIGRI SARAI SNG MADHYA PRADESH 486669	85100624	6107	Social Science	ST/X/OP	Anuppur
10	TEJBHAN SINGH	123 WARD NO 06 JHARA CHITRAON JAISINGHNAGAR SHD MADHYA PRADESH 484771	85101083	6498	Social Science	GFST/X/OP	Shahdol
11	JANKI	01 SANDA JHARI MAJHGAWA SAT MADHYA PRADESH 485331	85078966	16802	Social Science	GFSC/X/F	Anuppur

Useing

S.No	NAME	Address	ROLLNO	RANK	SUB_NAME	SELECTED_CATEGORY	Order Recommended District
12	SHASHI SAKET	293 HOSPITAL ROAD GULWAR GUJARA RAMANGAR SAT MADHYA PRADESH 485881	85073144	17977	Social Science	GFSC/X/F	Anuppur
13	KALPANA PRAJAPATI	WARD NO-09 NEAR BUS STATION VILL BAJNA BADAMALAHRA CHT MADHYA PRADESH 471311	85052086	18101	Social Science	GFSC/X/F	Umaria

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रुपये 32800/- अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सो-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।


5. संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 07 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाई नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS)
- IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- V. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है। अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)

- VI. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)।
- VII. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति।
- VIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- IX. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड।
- X. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-एक)।

7. संबंधित अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत जिला अधिकारी द्वारा दी गई पदस्थापना संस्था में पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसक किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।
10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।
11. संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्य स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
12. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।
13. आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है, उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।
14. इस जारी आदेश में पदस्थापना जिले में की गई है, जिला अंतर्गत रिक्त पद वाली 05 संस्थाओं का विकल्प अभ्यर्थी से प्राप्त कर अभ्यर्थी द्वारा दिये गए विकल्प पर पदस्थापना मेरिट एवं मापदंडों अनुसार की जा सकती है यथा संभव प्रथम विकल्प वाली संस्था में पदस्थापना की जावे।
15. जिले में पद रिक्त नही होने की स्थिति में जिले से बाहर पदस्थापना मुख्यालय के अनुमोदन उपरांत की जावेगी।
विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।



 संभागीय उपायुक्त
 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
 शहडोल संभाग शहडोल

पृ.कमांक/शिक्षा.स्था.3/
प्रतिलिपि:-

/मा.शि./2021/ 1808-A

दिनांक 27-7-2022

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य म.प्र. भोपाल ।
6. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल ।
7. कलेक्टर शहडोल, उमरिया, अनुपपुर ।
8. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य शहडोल, उमरिया, अनुपपुर की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें । दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें ।
9. जिला कोषालय अधिकारी शहडोल, उमरिया, अनुपपुर ।
10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला शहडोल, उमरिया, अनुपपुर ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल जिला शहडोल, उमरिया, अनुपपुर ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति देवें ।



संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
शहडोल संभाग शहडोल

परिशिष्ट -1

// शपथ पत्र //

प्रारूप

फोटो

मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नि.....
निवासी..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह मेरा चयन.....पद पर हुआ है ।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है ।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है ।
4. यह कि मुझे पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है ।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है ।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है ।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं ।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा ।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है ।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को.....में किया गया है ।

शपथग्रहिता